उत्तर प्रदेश सरकार

भाषा विभाग

संख्या–2135 / इक्कीस–11(49)–67

लखनऊ, 28 अक्टूबर, 1970

————————

विषयः–इलाहाबाद उच्च न्यायालय द्वारा दिये जाने वाले किसी निर्णय, डिक्री अथवा आदेश के प्रयोजन के लिये हिन्दी का वैकल्पिक प्रयोग प्राधिकृत किया जाना।

————————

कार्यालय–ज्ञाप

भारत के संविधान के अनुच्छेद 348 के खण्ड (1) के अनुसार उच्च न्यायालयों की कार्यवाहियॉ अंग्रेजी भाषा में होंगी किन्तु खण्ड (2) के अधीन राज्यपाल को यह शक्ति प्राप्त है कि वह राष्ट्रपति की पूर्वसम्मति से उच्च न्यायालय में निर्णयों, डिक्रियों व आदेशों को छोड़कर, उसकी अन्य कार्यवाहियों में हिन्दी प्रयोग प्राधित कर सकते हैं। इस संवैधानिक व्यवस्था के अन्तर्गत राष्ट्रपति की पूर्व सम्मति से राज्यपाल द्वारा उच्च न्यायालय की कतिपय कार्यवाहियों में हिन्दी का प्रयोग प्राधकृति किया जा चुका है, जिसका उल्लेख भाषा विभाग के कार्यालय–ज्ञाप संख्या–1608 / इक्कीस–11(59)–67, लखनऊ, 5 सितम्बर, 1969 में किया जा चुका है।

2– जहां तक उच्च न्यायालय के निर्णयों डिक्रियों तथा आदेशों का संबंध है, केन्द्रीय सरकार के राजभाषा अधिनियम, 1963 (1963 का 19) की धारा 7 में यह व्यवस्था की गयी है कि नियत दिनांक से अथवा उसके बाद किसी दिनांक से किसी राज्य के राज्यपाल राष्ट्रपति की पूर्व सम्मति से, उस राज्य के उच्च न्यायालय द्वारा किये जाने वाले किसी निर्णय, डिक्री या आदेश के लिये अंग्रेजी के अतिरिक्त हिन्दी या उस राज्य की राजभाषा के प्रयोग को प्राधिकृत कर सकते हैं और जहां कोई निर्णय, डिक्री या ओदश (अंग्रेजी के अतिरिक्त) उस भाषा में दिया जायगा वहां उसके साथ उसका अंग्रेजी अनुवाद भी उच्च न्यायालय के प्राधिकार से जारी किया जायगा।

3– केन्द्रीय सरकार की अधिसूचना संख्या 2(1) / 66, रा0भा0, दिनांक 26 फरवरी, 1970 के अधीन उक्त अधिनियम की धारा 7 मार्च, 1970 से प्रवृत्त (लागू) हो गये हैं।

4– इस संबंध में यह उल्लखनीय है कि अक्टूबर, 1947 में राजभाषा हिन्दी घोषित होने के बाद से ही इस प्रदेश के सरकारी कार्यलयों तथा न्यायालयों में हिन्दी का उत्तरोत्तर प्रयोग बढ़ाया जा रहा है। उच्च न्यायालय की कतिपय कार्यवाहियों में हिन्दी का वैकल्पिक प्रयोग प्राधिकृत करने के बाद अधीनस्थ न्यायालयों में कतिपय प्रकार के वादों में 02 अक्टूबर, 1970 से निर्णय, डिक्री तथा आदेशों में केवल हिन्दी का प्रयोग करने के आदेश भी जारी किये जा चुके हैं।

5– उसी क्रम में अब राजभाषा अधिनियम, 1963 (1963 का 19) की धारा 7 के अधीन उत्तर प्रदेश के राज्यपाल, राष्ट्रपति की पूर्व सम्मिति से यह आदेश देते हैं कि इलाहाबाद, उच्च न्यायालय द्वारा दिये जाने वाले किसी निर्णय, डिक्री अथवा आदेश के प्रयोजन के लिये अंग्रेजी के अतिरिक्त हिन्दी का वैकल्पिक प्रयोग किया जा सकता है किन्तु प्रतिबन्ध यह है कि जब कभी कोई निर्णय, डिक्री अथवा आदेश हिन्दी में दिया जाए तो उच्च न्यायालय द्वारा प्राधिकृत उसका अंग्रेजी अनुवाद भी उसके साथ जारी किया जाएगा।

प्रेम प्रकाश,
न्याय सचिव।

संख्या 2135(1) / इक्कीस–11(59)–67, तद्दिनांक

प्रतिलिपि, गृह मंत्रालय, भारत सरकार के पत्र संख्या–एफ–3 / 29–70, राजभाषा, दिनांक 05 अक्टूबर, 1970 की प्रतिलिपि सहित निबन्धक, उच्च न्यायालय, इलाहाबाद को सूचनार्थ तथा आवश्यक कार्यवाही के लिये प्रेषित।

आज्ञा से,
कैलाश नाथ गोयल,
संयुक्त सचिव एवं संयुक्त विधि परामर्शी।

————————

संख्या 2135(2)/इक्कीस–11(59)–67

प्रतिलिपि, निम्नलिखित को भी सूचनार्थ प्रेषित :–

(1) महाधिवक्ता, उत्तर प्रदेश, इलाहाबाद।
(2) समस्त सरकारी अधिवक्ता तथा स्थायी अधिवक्ता, उत्तर प्रदेश।
(3) हाईकोर्ट बार एसोसियेशन, इलाहाबाद।
(4) अवध बार एसोसियेशन, हाईकोर्ट, लखनऊ बेंच, लखनऊ।
(5) बार लाइब्रेरी, हाईकोर्ट, इलाहाबाद, लखनऊ।
(6) समस्त जिला बार एसोसियेशन, उत्तर प्रदेश।
(7) समस्त जिला एवं सत्र न्यायाधीश, उत्तर प्रदेश।
(8) समस्त जिलाधिकारी, उत्तर प्रदेश।
(9) सचिवालय के समस्त अधिकारी एवं विभाग।

आज्ञा से,
श्याम बिहारी शुक्ल,
भाषा अधिकारी।